30

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1050–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 146/2011–12/अपील

.....

श्रीमती रेखाबाई पति मुकुटधर
निवासी ग्राम बालोदा तहसील देवास,
जिला देवास म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–वी.पी.इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0
द्वारा कम्पनी सचिव प्रकाश चकवर्ती
निवासी 156 बी लक्ष्मण नगर देवास
2–श्रीमती चन्दाबाई विधवा मदनलाल
निवासी ग्राम बालोदा तहसील देवास,
जिला देवास म0प्र0
3–श्रीमती निर्मलाबाई पति लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम कलमा तहसील टोकखुर्द
जिला देवास

.....अनावेदकगण

श्री रवीन्द्र त्रिवेदी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/8/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार देवास के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम लसूडिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 32/2 रकबा 0.440 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय करने के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–8–2011 को प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–12–2011 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–3–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ नियत पेशी दिनांक 21–4–17 को आवेदिका पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण आवेदिका पक्ष द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय में प्रकरण विचारण के दौरान विकेता मदनलाल की मृत्यु हो चुकी थी उसके वारिसान को अभिलेख पर लिये बिना तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है ।

(2) जिस दिनांक को विकय पत्र पंजीकृत हुआ है उस दिनांक को विकेता मदनलाल चलने फिरने में असमर्थ था फिर भी वह पंजीयन कार्यालय में कैसे उपस्थित हुआ, यह विचारणीय है ।

(3) अपर आयुक्त के समक्ष आवेदिका की ओर से लिखित बहस एवं न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे जिन पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है ।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदिका की ओर से नामान्तरण कार्यवाही में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिन पर तहसील न्यायालय द्वारा बिना समुचित विचार किये आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र को निरस्त कराने हेतु व्यवहार बाद प्रस्तुत किया गया था और व्यवहार

न्यायालय द्वारा दिनांक 16–8–2011 को आदेश पारित कर व्यवहार वाद निरस्त किया गया है, इसलिये आवेदिका की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा के स्थायी निषेधाज्ञा, आधिपत्य प्राप्ति एवं विक्रय पत्र के पंजीयन को अवैध घोषित करने हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया और व्यवहार वाद कमांक 1–ए/2011 में दिनांक 31–10–2013 को आदेश पारित किया जाकर व्यवहार वाद निरस्त किया गया है । अतः स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में आवेदिका का कोई स्वत्व नहीं है । इसी आशय के निष्कर्ष निकालते हुये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर